संख्या-64/2015/वे0आ0-2-1218/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर,2015**

विषय- उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैं:--

(i) उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के कर्मचारियों के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों पर उसके सम्मुख स्तम्भ-3 के अनुसार निर्धारित वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर स्तम्भ-4 के अनुसार उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से निर्धारित किया जाय:--

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन(रू0 में)	उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	सामान्य प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/-	वेतन बैण्ड-2 एवं 4200/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 2400/--	वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/--
3	सहायक प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 2400/-
4	हलवाई	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 2000/-
5	विक्रेता/ कूपन सेलर	वेतन बैण्ड-1 एवं 1800/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-
6	सहायक हलवाई/कुक	वेतन बैण्ड-1 एवं 1800/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-

(ii) उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के टी/काफी मेकर (पद संख्या 14), वेयरर/वाश ब्याय (पद संख्या 205) तथा स्वीपर/सफाई कर्मी (पद संख्या 02) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/-- को यथावत् बनाये रखा जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-64/2015/वे0आ0-2-1218(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।